दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय श्रीमान सहायक कलेक्टर (मु.) महोदय, अजमेर

राजस्व वाद संख्या 84/2024 जिला अजमेर

....

सुमित्रा देवी बनाम बंशीलाल वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी

श्रीमान जी,

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से निम्न निवेदन हैं :-

1. यह कि, उपरोक्त उनवान वादपत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें आज दिनांक 05.06.2025 की पेशी नियत है।

2. यह कि, वादीया स्वयं द्वारा वादपत्र में वर्णित स्वीकृत अभिवचनों एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार वादिया ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित भूमि के साबिक खसरा नं. 1655/140 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म बारानी-3, जिसके हाल खसरा नं. 2007/140 रकबा 0.48 हैक्टेयर की खातेदार होकर काबिज काश्त है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि जिसके साबिक खसरा नं. 140 रकबा 0.02 हैक्टेयर ग्राम नरवर में अवस्थित है, कि खातेदार काबिज काश्तकार नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीया का वादपत्र प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

R/c
Mei
5/6/25

3. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में उल्लेखित विधिक प्रावधानों के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का वाद खातेदार अपनी खातेदारी भूमि बाबत ही प्रस्तुत कर सकता है लेकिन वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 140 रकबा 0.02 हैक्टेयर बाबत प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु पेश किया है जो स्थापित

Bhujawat

सिद्धांत के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होकर प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

4. यह कि वादीया द्वारा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, वह भी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी भूमि पर पाबंद कराने हेतु इस बाबत धारा 188 एवं 92ए अनुसार वादीया को कभी भी वादकारण उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः वादकारण के अभाव में भी वाद पत्र प्राथमिक स्तर पर ही निरस्त योग्य है।

5. यह कि जमाबंदियां वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमियों की संलग्न वास्ते संदर्भ एवं अवलोकन सेवा में प्रस्तुत है।

6. यह कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का जवाब उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण होने के पश्चात प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने तथा वादकारण के अभाव में मय खर्चे निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें, जो न्याय संगत होगा।

अजमेर
दिनांकः05.06.2025

प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता
एन0 एस0 राजावत